कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर मे दायर अपील संख्या 3557/2019 हरीश चन्द्र अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 11.11.2019 की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/हरीश चन्द अग्रवाल/3557/2019/4 दिनांक: 29.11.2019 द्वारा श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य को माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राबाउमावि कोटखावदा जयपुर में एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा सोलंकी को विद्यालय मे दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राउमावि तमलोर जिला बाड़मेर मे अन्तरिम रूप से समायोजित किया गया था।

श्रीमती रेखा सोलंकी द्वारा उक्त समायोजन आदेश के विरूद्ध माननीय अपील अधिकरण में अपील संख्या 4602/2019 रेखा सोलंकी बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। उक्त अपील को माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3557/2019 के साथ समेकित निर्णय दिनांक 10.01.2020 द्वारा स्वीकार करते हुए श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल को उनकी पत्नी के कैसर रोग से पीडित होने एवं उनकी निरन्तर कैमोथेरेपी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जयपुर जिले में पदस्थापित करने पर विचार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा उक्त प्रकरण के माननीय अधिकरण में विचाराधीन होने के दौरान ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1488/2020 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक: 30.01.2020 द्वारा श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल की याचिका को अन्तिम रूप से खारिज करते हुए उन्हें माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2020 के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक: 29.09.2019 निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 श्रीमती रेखा सोलंकी के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति में श्रीमती रेखा सोलंकी, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तमलोर जिला बाड़मेर को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटखावदा, जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः कार्यग्रहण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री हरीश चन्द्र अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राबाउमावि कोटखावदा, जयपुर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में देते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/हरीशचन्द्र/1488/291/2020 दिनांक: 21.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग,. जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बाडमेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)